डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राक : सम्बद्धता/3042/2008
दिनांक : 11-4- 2008

सेवा में,
सचिव,
अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,
अलीगढ़

महोदय,

अनुसचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5781/सत्तर-2-2007-2(286)/2003 लखनऊ दिनांक 31-01-2008 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 1-7-2007 से उक्त पत्र में उल्लिखित तीन शर्तो के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 31-01-2008 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा ।

1- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी ।

2- संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।

क्रमशः.....2

3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

11/4

कुलसचिव

~~पत्रांक: सम्बद्धता 3043/2008 दि. 11-4-2008~~

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।

2- निजी सचिव कुलपति ।

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,
जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा ।

कुलसचिव